न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 104/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. तेजसिंह पुत्र किशनसिंह 2. सवाईसिंह पुत्र किशनसिंह 3. सवाईसिंह पुत्र खंगारसिंह 4. जालमसिंह पुत्र बधसिंह 5. कवराजसिंह पुत्र बधसिंह 6. देरावरसिंह पुत्र बधसिंह 7. सुगनकंवर पत्नी बधसिंह 8. खेतसिंह पुत्र नाथूसिंह जातियान– राजपूत निवासी– मूढणों की ढाणी, तहसील शिव जिला बाडमेर।		1. तहसीलदार, शिव जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव के द्वारा प्रकरण कमांक राजस्व/2017/207 में दिनांक 01.01.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सुगनमल, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28 मार्च, 2024

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाडमेर के द्वारा प्रकरण कमांक राजस्व/2017/207 में दिनांक 01.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील दिनांक 25.06.2019 को प्रस्तुत की गई।

2. पक्षकरान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार शिव के द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम मूढणों की ढाणी तहसील शिव के विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते की रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 01.01.2017 को पारित कर दिया गया जों अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जबकि उक्त खसरान में अपीलान्टस के खसरा संख्या 409/263, 408/263 की भूमि में से भी भूमि रास्ते हेतु दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त खसरान में अपीलान्टस के खसरा संख्या 409/263, 408/263 की भूमि में से भी भूमि रास्ते हेतु दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित पक्षकार है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का उन्हें कानूनी अधिकार है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उनकी निजी खातेदारी की भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। अपीलान्ट ने अपनी संयुक्त खाते का ख0सं0 409/263 का आपसी विभाजन करवाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 10.6.2019 को प्राप्त की उसमें अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता दर्ज करने का इन्द्राज था तब उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई अतः आदेश की जानकारी तिथी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें।

4. अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट को अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण जो कि अभिलिखित भूमि के खातेदार है को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है इस प्रकार अपीलाधीन आदेश हाई हैण्डेड एक्शन की तारीफ में आते है एवं प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की उक्त खसरान भूमि में से कोई रास्ता कभी भी नहीं निकलता था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच किये जल्दबाजी में कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया जबकि वास्तव में रास्ता ख0सं0 247 की भूमि में चलता है, जो कि संलग्न प्रस्तुत छायाचित्र से स्पष्ट हो जाता है। ख0सं0 247 व ख0सं0 383/348 के खातेदार एक ही परिवार से है परन्तु पटवारी ने जानबुझकर आधा रास्ता ख0सं0 247 में दर्शा दिया एवं आधा रास्ता ख0सं0 409/263 की भूमि में दर्शाते हुए गलत तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर बिना मौका रिपोर्ट, खातेदार को बिना सुने ही फैसला कर दिया एवं नया रास्ता स्थापित करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के जिस परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उस परिपत्र की ऐसा कोई मंशा नहीं है एवं न कोई ऐसे निर्देश है। कोई भी परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जारी नहीं किया जा सकता हैं जबकि राज0 काश्तकारी अधिनियम में रास्ते सम्बन्धी प्रावधाना धारा 251 ए में पहले से है तो इस परिपत्र का कोई महत्व नहीं है। उक्त परिपत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला एवं विध्वसकारी है। ऐसे परिपत्र की कानून में कोई अहमियत नहीं है एवं प्रशासनिक स्तर पर जारी किये गये परिपत्र से खातेदार को उनके अधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। उक्त परिपत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने ठीक से समझा नहीं। इतना ही नहीं उक्त परिपत्र में जिस तरह की प्रकिया अपना कर सार्वजनिक रास्तों का अंकन करने का निर्देश है उन निर्देशों की एवं निर्धारित प्रकिया की कोई पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है, जो निरस्त योग्य किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2017 को निरस्त किया जावें।

7. प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार शिव की ओर से प्रेषित प्रस्ताव जिसमें रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम मुंढणों की ढाणी तहसील शिव के विभिन्न खसरान रकबा में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने बाबत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत प्रकिया अनुसार स्वीकार किया गया है जो बहाल रख जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम मुढणों की ढाणी में अपीलान्टस के खसरा संख्या 409/263, 408/263 की भूमि में से भी भूमि रास्ते हेतु दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे रास्ते में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिनांक 01.01.2017 को पारित किया है वो प्रभावित खातेदारान/अपीलार्थीगण को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई। ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्ट की खातेदारी के उक्त खसरान में अपीलान्टस के खसरा संख्या 409/263, 408/263 की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2017 को अपीलान्टस के खसरा संख्या 409/263, 408/263 ग्राम मुण्डणों की ढाणी की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार शिव से मौका जॉच करवाकर मौका फर्द तैयार करावें, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, शिव उक्तानुसार तैयार मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2

(अजीत सिंह राजावत)
अति0 संभागीय आयुक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर